राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1100/2023

डॉ. राजेश सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव (प्रशासन), पुलिस, प्रथम मंजिल, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।
4. डॉ. आम्रपाली सिन्हा, सहायक निदेशक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.03.2023
आदेश की दिनांक : 26.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विज्ञान शाह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से: श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 11.01.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध उप निदेशक के पद पर की गई पदोन्नति को अवैध मानते हुए अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नत मानते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विभाग द्वारा दिनांक 11.01.2023 को सहायक निदेशक से उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 डॉ. आम्रपाली सिन्हा को पदोन्नति प्रदान की गई। जबकि अकार्य अवधि (दिनांक 07.05.2011 से 03.06.2014 तक) से पूर्व एवं इसके पश्चात् सहायक निदेशक पद पर की गई निरंतर सेवा अवधि

उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में गणना योग्य मानते हुए अग्रिम पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया और प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को डीपीसी आयोजित करने हेतु कार्यवाही के लिए निर्देश दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 06.02.2020 जिसके द्वारा तीन वेतन वृद्धियां रोकी गई और माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा जारी निर्णय दिनांक 05.02.2021 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के अपील को खारिज फरमाया गया और एकलपीठ द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 12222/2020 जिसमें दण्ड आदेश दिनांक 06.02.2020 को चुनौती दी गई और इस प्रकार विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की पदोन्नति पर विचार किया जाना नियम विरूद्ध है। उनका यह भी अभिकथन है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के क्लोज 15.1 के अनुसार निरंतर अनुभव की गणना आवश्यक है। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 दिनांक 28.09.2007 से 03.06.2014 तक का अनुभव की अवधि गणना पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उस अवधि का अकार्य अवधि है। इस प्रकार उस अवधि की गणना किया जाना पूर्ण रूप से न्यायोचित नहीं है और पदोन्नति दौरान सेवा अवधि की गणना के समय यदि किसी कार्मिक को कोई दण्ड दिया गया है तो उसकी पदोन्नति के बारे में विचार किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद फैजल के.ए. बनाम डी.सली व अन्य (2017) 16 एससीसी 394 एवं एल.रजिया बनाम महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प, हैदराबाद व अन्य (1996) 8 एससीसी 246 जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दण्डित किए गए कार्मिकों की पदोन्नति पर विचार किया जाना उचित नहीं माना है। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की पदोन्नति पर विचार किया जाना विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 11.01.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध उप निदेशक के पद पर की गई पदोन्नति को अवैध मानते हुए अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नत मानते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदोन्नति हेतु राजस्थान फोरेंसिक विज्ञान सेवा नियम, 1979 के नियम 24(2) में वर्णितानुसार

सहायक निदेशक के पद की 5 वर्ष के अनुभव की गणना उक्त नियम के आधार पर एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के अनुसार की गई है और पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव की गणना नियमानुसार सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी उप निदेशक के पद पर रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध पदोन्नत किया जा चुका है और इस प्रकार अपीलार्थी को पदोन्नति से कोई हानि नहीं है और अपील बिना आधार के ही अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है। डीपीसी रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप निदेशक के पद के लिए की गई थी, जिसमें अधिकरण द्वारा जारी किया गया अंतरिम स्थगन आदेश के कारण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के नाम पर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु कोई विचार नहीं किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप निदेशक के पद पर पदोन्नति से अपीलार्थी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को आदेश दिनांक 06.02.2020 के द्वारा तीन वेतन वृद्धियां रोके जाने से दण्डित किया गया है और इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के नाम पर रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाना नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि विभाग द्वारा दिनांक 11.01.2023 को सहायक निदेशक से उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 डॉ. आम्रपाली सिन्हा को पदोन्नति प्रदान की गई। जबकि अकार्य अवधि (दिनांक 07.05.2011 से 03.06.2014 तक) से पूर्व एवं इसके पश्चात् सहायक निदेशक पद पर की गई निरंतर सेवा अवधि उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में गणना योग्य मानते हुए अग्रिम पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया। जबकि आदेश दिनांक 06.02.2020 द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की तीन वेतन वृद्धियां रोकी गई,

फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसके नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है। जहां तक निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के नाम पर रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध उप निदेशक के पद पर विचार किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 13.01.2022 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को उप निदेशक के पद पर रिक्ति वर्ष 2021–22 के विरूद्ध दिनांक 01.04.2021 से पदोन्नति प्रदान की गई है। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को उप निदेशक के पद पर रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु उसके नाम पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से पूर्व ही पदोन्नति उप निदेशक के पद पर प्राप्त कर चुका है और जो अपीलार्थी से कनिष्ठ भी है। हमारे मत में यदि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु नियमानुसार योग्य पाए जाने पर प्रत्यर्थी विभाग उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान करता है तो अपीलार्थी को उसकी पदोन्नति से किसी प्रकार की कोई हानि होना प्रकट नहीं होता है। चूंकि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से पूर्व ही उक्त पद पर पदोन्नति प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के उक्त तर्क में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उपरोक्त पद पर पदोन्नति को प्रभावित किए बिना निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की पदोन्नति पर नियमानुसार विचार करने हेतु स्वतंत्र है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 22.03.2023 को प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य